में दायर किए गए। ये मामले वर्तमान में ट्रायल के विभिन्न चरणों में हैं। भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 1714

(जिसका उत्तर गुरुवार, 7 मार्च, 2013/16 फाल्गुन, 1934 (शक) को दिया गया)

<u>कारपोरेट अपराधों की जांच</u>

1714. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री एस. अलागिरी :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारपोरेट अपराध जांच के मामलों का ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इनमें से कितनों का निपटान किया गया है;
(ख) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान अभियोजित कंपनियों और व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और अभियोजन का परिणाम क्या रहा है; और
(ग) दोषी कंपनियों के विरूद्ध की गई दंडात्मक कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री सचिन पायलट)

(क): दिनांक 01.04.2009 से 31.03.2012 की अवधि में एसएफआईओ को 24 मामले और वर्तमान वर्ष के दौरान 42 मामले जांच हेतु संदर्भित किए गए थे। इनमें से वर्ष 2009-10 से 2011-12 की अवधि में 23 मामलों में और वर्तमान वर्ष में 15 मामलों में जांच पूर्ण कर ली गई है।

(ख) और (ग): वित्त वर्षों 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान 23 मामलों जिसमें जांच पूरा किया गया में से 10 मामले उच्च न्यायालयों द्वारा संदर्भित थे जबकि 13 मामले मंत्रालय द्वारा भेजे गए थे। माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा भेजे गए जांच के मामलों में अभियोजन का आदेश देना उच्च न्यायालयों का विशेषाधिकार है।

प्रत्येक जांच में कंपनी अधिनियम, 1956 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के विभिन्न प्रावधानों के तहत अभियोजन हो सकता है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 के विभिन्न प्रावधानों के तहत 30 अभियोजन और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत 12 अभियोजन विभिन्न न्यायालयों

*****